मध्यप्रदेश शासन

# लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

मंत्रालय

क्रमांक/एफ/12/32/14/सत्रह/मेडि-3 भोपाल, दिनांक 28/8/2014

प्रति,

आयुक्त,
स्वास्थ्य सेवाएं,
म.प्र., भोपाल।

विषय : म.प्र.राज्य बीमारी सहायता निधि प्रबंधन समिति में लिये गए निर्णय अनुसार कार्यवाही के संबंध में ।

= 0 0 =

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि म.प्र.राज्य बीमारी सहायता निधि की प्रबंध समिति की बैठक दिनांक 28-07-2014 को माननीय मंत्रीजी, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की अध्यक्षता में संपन्न हुई । बैठक में लिये गए निर्णय अनुसार म.प्र.राज्य की बीमारी सहायता निधि अंतर्गत सहायता राशि प्राप्त होने वाले प्रकरणों में निम्नानुसार कार्यवाही की जाए –

1. राज्य बीमारी सहायता निधि के अंतर्गत वर्तमान में केवल एक बीमारी के लिये सहायता स्वीकृत की जाती है । कई प्रकरणों में रोगी को एक से अधिक गंभीर बीमारियां होती है जिनमें रोगी को उपचार कराने अथवा ऑपरेशन कराने की आवश्यकता होती है । वर्तमान नियमों के अंतर्गत एक बार सहायता दिये जाने के पश्चात् रोगी को राज्य बीमारी सहायता निधि से दूसरी बीमारी के उपचार/सर्जरी के लिये सहायता नहीं दी जाती, जबकि बीमारी की गंभीरता को देखते हुए रोगी की दूसरी बीमारी के लिये उपचार/सर्जरी कराना अत्यंत आवश्यक होता है । विचारोपरांत यह निर्णय लिया गया कि वर्तमान में लागू नियम एवं प्रक्रिया को सरल बनाया जाए तथा यदि रोगी को राज्य बीमारी सहायता निधि से एक बार सहायता दिये जाने के पश्चात् दूसरी बार पुनः चिन्हित बीमारियों में उपचार/सर्जरी की आवश्यकता होती है तो इस हेतु रूपये 2 लाख की सकल सीमा में रहते हुए (दोनों चिन्हित गंभीर बीमारियों के प्रकरणों को मिला के) सहायता प्रदान की जाये । ऐसे प्रकरणों का निराकरण जिला स्तर पर ही किया जाये । इस हेतु वर्तमान नियम में तत्काल आवश्यक संशोधन किया जाए ।
2. वर्तमान में राज्य बीमारी सहायता निधि के अंतर्गत यह प्रावधान है कि राज्य बीमारी सहायता निधि के हितग्राही रोगियों को उपचार/ऑपरेशन हेतु शासकीय मेडिकल कालेज अस्पतालों/जिला अस्पतालों/अन्य चिकित्सालयों में जहां उपचार/ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है भेजा जाय । इन संस्थाओं में रोग का उपचार/ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध न होने अथवा तत्काल उपचार/ऑपरेशन करने में असमर्थना होने की स्थिति में एन.ओ.सी. लिये जाने के पश्चात् निजी चिकित्सा संस्थाओं में उपचार/ऑपरेशन हेतु भेजा जाए । चूंकि हृदय रोग संबंधी ऑपरेशन वर्तमान में केवल गांधी मेडिकल कालेज भोपाल के हमीदिया चिकित्सालय में ही किये जाते हैं अतः वर्तमान में पूरे प्रदेश से हृदय रोग से पीड़ित रोगियों

को भोपाल मेडिकल कालेज में उपचार/एन.ओ.सी. प्राप्त करने आना पड़ता है । इससे रोगियों को काफी परेशानी हो रही है । इसे देखते हुए यह निर्णय लिया गया कि संभाग के जिलो के रोगी संभाग में स्थित शासकीय मेडिकल कालेज में जो चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध है उनके लिये उन संभागीय शासकीय मेडिकल कालेज चिकित्सालयों में उपचार/सर्जरी हेतु रैफर किये जायेंगे । जो उपचार/सर्जरी की सुविधा संभागीय मेडिकल कालेज चिकित्सालय में उपलब्ध नहीं है उनके लिये जिला स्तर से रोगियों को शासन से मान्यता प्राप्त अस्पतालों में रैफर किया जा सकता है । हृदय रोग के संदर्भ में भी गांधी मेडिकल कालेज भोपाल में केवल भोपाल संभाग व नर्मदापुरम संभाग के जिलों के रोगी ही रैफर किये जायेंगे । शेष संभागों के हृदय रोगी जिला स्तर से सीधे मान्यता प्राप्त अस्पतालों को रैफर किये जायेंगे ।

3. मेडिकल कॉलेज अस्पताल रोगियों को उपलब्ध उपचार/ऑपरेशन की सुविधाएं कंम से कम समय में प्रदाय करेंगे एवं यदि किसी बीमारी की लंबी प्रतिक्षा सूची हो तो रोगी के हित मे उसे शीघ्र–अतिशीघ्र एन.ओ.सी. प्रदान करेंगे । जिन प्रकरणों में उपचार हेतु प्रतीक्षा संभव है उनमें भी प्रतीक्षा सूची तीन माह से अधिक होने की स्थिति में रोगियों को योजनांतर्गत शासन से मान्यता प्राप्त निजी चिकित्सालयों में रैफर किया जा सकता है ।
4. समग्र सामाजिक सुरक्षा के अंतर्गत प्रसूति सहायता (जननी सुरक्षा योजना एवं प्रसूति अवकाश सहायता) एवं चिकित्सा सहायता (दीनदयाल अन्त्योदय उपचार योजना/राज्य बीमारी सहायता निधि/मुख्यमंत्री बाल हृदय उपचार योजना) के अंतर्गत गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले तथा विभिन्न श्रमिक वर्ग के पंजीकृत हितग्राहियों एवं उनके परिजनों को उपरोक्त योजनाओं का लाभ प्रदाय किया जाना है । इस संबंध में विस्तृत दिशा–निर्देश मध्यप्रदेश शासन, सामाजिक न्याय विभाग, मध्यप्रदेश समग्र सामाजिक सुरक्षा मिशन द्वारा जारी किये गये है । इसका सघन प्रचार–प्रसार किया जाए ।

28/8/14

(डॉ. गनी अहमद खान)
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

क्रमांक एफ 12–32/14/सत्रह/मेडि–3 भोपाल, दिनांक 28/8/2014

प्रतिलिपि :

1. निज सहायक, माननीय मंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ।
2. निज सहायक, माननीय राज्य मंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ।
3. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, भोपाल ।
4. समस्त संचालक, संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश ।
5. संचालक, चिकित्सा शिक्षा, सतपुड़ा भवन, भोपाल ।
6. समस्त, संभागीय आयुक्त, मध्यप्रदेश ।
7. समस्त कलेक्टर/सिविल सर्जन सह अस्पताल अधीक्षक, मध्यप्रदेश ।

28/8/14

अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग